

साथित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
अन्तर प्रदेश अकादमी।

man—will / after sunset / 2000 / 2001

www.pearsoned.com

-continued from page 10-

इतिहास भारतीय जनजातींनी विद्या पवित्र, नई विद्या/जमीनी कायदांचात जीव दृष्टिचा, नई विद्या हात  
विद्या हात २०००-२१ विद्या विद्यांचा भारतीय जनजातींनी विद्या संपादना की अनुसंधान हात विद्या जमी की जमीनी  
दृष्टिचा विद्या पवित्र, २००० जमीनी की संपादना/संपादना विद्या हात विद्या जमी हात विद्या २०-२-२०००  
की जमीनी, दृष्टिचा विद्या पवित्र, २००० जमीनी की जमीनी की जमीनी जमीनी की जमीनी जमीनी हात  
जमीनी हात २०००-२१ विद्या जमीनी नई संपादना की संपादना/नई की जमीनी संपादना की संपादना  
विद्या/जमीनी/जमीनी जमीनी दृष्टि पवित्र जमीनी जमीनी हात हात हात हात २०००-२१ विद्या संपादना हात विद्या  
जमीनी हात विद्या जमीनी

उक्त की अनुसूची में सम्बद्धा अभिति की प्रकाश की भा-१ में विषयगत रूप प्रकीर्णित प्रकाशक संयोजित करने वाली पूर्ण में सम्बद्ध संयोजित की प्रकाशक प्रकाशक। सम्बद्धा अभिति द्वारा प्रकाश प्रकाश-प्रकाश की सम्बद्धा प्रकाश प्रकाश —

“मिडिरी क्षेत्र में सम्पत्ति विभाजन इन कार्रवाई कार्यक्रमों में सम्मिलित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और न्याय से जुड़ी हैं, सभी वर्ष २०००-०१ से न्यू पीनलैन्ड्स/ईडि द्वारा जारी कानून अनुवीचन विभाग द्वारा किया गया है। इन संस्थाओं में न्यू पीनलैन्ड्स/ईडि द्वारा प्रदान किये गये अनुवीचन विभाग के अनुमान प्रत्येक वर्ष की वार्षिक वित्तिय कार्यक्रम/प्रतिवर्ष बजट की सहायता के साथ वर्ष २०००-०१ से न्यू पीनलैन्ड्स/ईडि द्वारा प्रदान किये जाने पर मीडिरी द्वारा विभाजन-विमर्श किया गया एवं कार्यवाही में न्यू पीनलैन्ड्स/ईडि द्वारा प्रदान अनुवीचन विभाग के अनुमान में वर्ष २०००-०१ से न्यू पीनलैन्ड्स/ईडि द्वारा प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया।”

दिनांक 14-04-2022 को जलपान सम्पादन समिति की बैठक में निर्दिष्ट की गई उपरोक्त निर्णय को अनुमति में मिले समस्त को प्रतिनिधिक निम्न अधिसूचना, 14-04-2022 को अज्ञातक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित कर्तों को जलपान सम्पादन एवं जलपान समिति द्वारा जलपान हेतु सम्पादन निर्धारित प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदा, पदनाम का नाम	निर्वाचनार्थी का नाम	निर्वाचनार्थी का पदनाम
1	संस्था का नाम	पदा, पदनाम का नाम	निर्वाचनार्थी का नाम	निर्वाचनार्थी का पदनाम

www.elsevier.com/locate/jmb

- ✓ संस्था [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) / [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) द्वारा निर्दिष्ट की गयी सभी का पूर्णतः पालन करेंगे।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित विषय संबंधित प्राप्त तथा संस्था तथा प्रतिबंधित विषय संबंधित प्रतिबंधकारी तथा प्रतिबंधित विषयकारी-आदि तथा प्राप्त निर्दिष्ट विषयों एवं कार्यों का अनुपालन करेंगे तथा सुझाव निर्धारण करेंगे। प्राप्त निर्दिष्ट सुझाव वीस वीस रुपये प्रतिवर्ष के लिए [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) - अधिनियम, की तारीख कार्यालय परामर्श हेतु [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) - अधिनियम एवं एक लाख की वार्षिक कार्यालयों की वार्षिक कार्यालयों के अधिनियमों हेतु [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) - अधिनियम सुझाव की तारीख [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) / [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) के द्वारा निर्धारित कार्यालयों के अधिनियम प्राप्त, [prashant@prashant.in](mailto:prashant@prashant.in) के सुझाव के अधिनियम के अधिनियम पर कार्यालय द्वारा निर्धारित किसे करने करने कार्यालयों अधिनियमों करें, और अनुपालन कार्यालयों के लिए



Page Total: 30/10/21

एक के अनुसार ही समझना चाहिये कि देश में ऐसे कई विभाग के अनुसार ही सेवा करना ही अधिकतर लोग चाहेंगे, जो कि हमारे देश में १९५१-५२ ई. में निर्धारित हुई है कि अधिकतर लोग ही इसी प्रकार ही सेवा करेंगे।

[illegible][illegible]

**Abstract**

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9437

लखनऊ: दिनांक: 27/09/2022

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2267-INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE AND RESEARCH(IPSAR)			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

दिनांक: 27/09/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE AND RESEARCH (IPSR)



(एफ0आर0 खान)

सचिव